www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-1* *January 2025***

जनधन योजना के सामाजिक– आर्थिक प्रभाव

डॉ0 कृष्ण कुमार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुकरौली, कुशीनगर, उ0 प्र0

सार–

भारत सरकार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई पहल करती है; सबसे लोकप्रिय "प्रधानमंत्री जन धन योजना" है जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2014 को की थी और इसे शुरुआत में 28 अगस्त 2014 को 4 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। "प्रधानमंत्री जन धन योजना" कई लाभ प्रदान करता है जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट सुविधा और पेंशन योजना, आदि। वर्तमान पत्र "ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर प्रधान मंत्री जन धन योजना का प्रभाव" का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

मुख्य–शब्द– प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय सेवाएँ, "प्रधानमंत्री जन धन योजना", रुपे डेबिट कार्ड, सामाजिक प्रभाव आदि।

परिचय–

वित्तीय समावेशन का अर्थ है किफायती लागत पर बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी। इसके पीछे का उद्देश्य "बहिष्कृत" आबादी को कवर करना और उनकी बेहतरी के लिए उन्हें वित्तीय सेवाओं में नियमित भागीदार बनाना था। गरीब वर्ग के लोगों के लिए मांग बाधाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात् जागरूकता की कमी, सीमित बैंकिंग साक्षरता, और बैंकिंग सुविधाओं की सीमित पहुंच। आपूर्ति पक्ष की बाधाओं में उच्च लेनदेन लागत, छोटे या सूक्ष्म वित्त में संपार्श्विक की कमी, भौतिक और कानूनी बुनियादी ढांचे में खामियां शामिल हैं। इसलिए, ऋण में आसानी से आगे जाना युग की आवश्यकता थी और नए आकार और दिशा पाने के लिए भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के वित्तीय दायरे में गरीब या कमजोर वर्ग को शामिल करने के लिए "प्रधानमंत्री जन धन योजना" को संक्षिप्त रूप से पीएमजेडीवाई के रूप में पेश किया। "बैंकिंग प्रणाली से बहिष्करण लोगों को आधुनिक वित्तीय प्रणाली से मिलने वाले सभी लाभों से बाहर कर देता है। इस (प्रधानमंत्री जनधनयोजना) मिशन में, परिवारों के पास न केवल स्वदेशी रूपे डेबिट कार्ड वाले बैंक खाते होंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा और पेंशन सेवाओं तक भी पहुंच प्राप्त होगी। पीएमजेडीवाई योजना का नारा है "मेरा खाता, भाग्यविधाता"।[1]

पीएमजेडीवाई योजना की सफलता प्रभावी नियामक प्रणाली पर निर्भर करती है क्योंकि हितधारकों को खातों को सक्रिय रखने और कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होता है। चुनौती शून्य शेष वाले गैर–संचालित खातों को परिचालन में बदलने की है और इसके लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यह मिशन शहरी और ग्रामीण सभी परिवारों को वित्तीय सेवाओं तक आसान और सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। पीएमजेडीवाई योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को सीधे सरकारी वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में पूरी तरह से सहायक है। पीएमजेडीवाई योजना ने देश में वित्तीय अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रभावशाली परिणाम दिया है।

भारत सरकार ने कई वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और नीतियां पेश की हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय "प्रधानमंत्री

जन धन योजना" है। यह योजना वित्तीय समावेशन के विकास को गति देकर भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। पीएमजेडीवाई जन धन खाते के माध्यम से अच्छे अवसर लाकर ग्रामीण और गरीब लोगों को जीवन स्तर प्रदान करता है जो नकद निकासी, प्रेषण, जमा, रुपे डेबिट कार्ड के साथ अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा आदि जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीच बैंकिंग की ताकत बढ़ाकर उन्हें प्रभावित करती है।

पूरे भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए। हमारा शोध भारत के 27 राज्यों के जिलों के बीच एक वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआईआई) विकसित करके एक कदम आगे बढ़ता है और एफआईआई के लिए नए आयाम माप प्रस्तावित करता है, अर्थात् प्रति 1,000 वर्ग किमी में वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या, कृषि ऋण खातों की संख्या। प्रति 1,000 जनसंख्या और प्रति 1,000 जनसंख्या पर गैर–कृषि ऋण खातों की संख्या। विश्लेषण के प्रमुख परिणाम बताते हैं कि एफआईआई संकेतक का स्तर 2011–2018 के दौरान वित्तीय समावेशन में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। मध्य, पूर्वी और उत्तर–पूर्व के अधिकांश इलाकों ने कम वित्तीय समावेशन का संकेत दिया है। इसके अलावा, पीएमजेडीवाई ने जिलों को निम्न से मध्यम वित्तीय समावेशन में धकेलने के लिए बहुत कम काम किया है।[2]

2014 में, भारत सरकार ने सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू की। इस योजना ने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और गरीबी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें व्यापक वित्तीय समावेशन लाने और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। यह योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है।[3]

"प्रधानमंत्री जन धन योजना" के उद्देश्य

सार्वभौमिक पहुंचः पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक भारतीय के पास बचत खाता, डेबिट कार्ड और बीमा जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो। इससे वित्तीय बहिष्करण पर अंकुश लगाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वित्तीय स्थिरताः इस योजना का उद्देश्य बचत, बीमा और जिम्मेदार उधार के महत्व के बारे में जानकारी देकर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। पीएमजेडीवाई को लोगों के बीच वित्तीय नियोजन के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और परिवारों में बचत की आदत विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः पीएमजेडीवाई समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी तत्पर है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से, प्राप्तकर्ता बिचौलियों के बिना सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पीएमजेडीवाई के लाभ

कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहींः पीएमजेडीवाई खाते शून्य–शेष खाते हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कम आय वाले समूहों और ग्रामीण परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। डेबिट कार्ड और ओवरकार्ड सुविधाः पीएमजेडीवाई खाताधारकों को आसान लेनदेन के लिए रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। वे पात्रता मानदंड और खाता प्रदर्शन के अधीन, 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।

दुर्घटना बीमा कवरः पीएमजेडीवाई खाताधारक क्रमशः 30,000 और 2 लाख के जीवन और दुर्घटना बीमा कवर के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे 45 दिनों में कम से कम एक बार अपने खाते का उपयोग करें।

पीएमजेडीवाई की प्रगति और प्रभाव

सितंबर 2021 तक, योजना के तहत 43 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि लगभग 1.55 लाख करोड़ है। पीएमजेडीवाई ने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है, जिससे

उन्हें ऋण, बीमा और सरकारी लाभ तक पहुंच प्रदान की गई है।[4]

इस योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लाखों नए बैंक खाते बनाए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और खाताधारकों को डिजिटल रूप से लेनदेन करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, पीएमजेडीवाई ने सरकार को सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है। इससे लीकेज और देरी में कमी आई है और सरकारी कार्यक्रमों की समग्र दक्षता में योगदान मिला है।

पीएमजेडीवाई की सीमाएं

प्रौद्योगिकीः ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त बुनियादी ढांचे की कमी और धीमी इंटरनेट गति ने बैंकिंग के डिजिटल तरीकों को अपनाने में बाधा उत्पन्न की है और ग्राहकों के लिए अपने खातों तक पहुंच बनाना मुश्किल बना दिया है। वित्तीय साक्षरताः वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, कई लोग अभी भी औपचारिक बैंकिंग के लाभों से अनजान हैं। इसके परिणामस्वरूप पीएमजेडीवाई खातों का उपयोग कम हो गया है। उत्पाद डिज़ाइनः पीएमजेडीवाई का उत्पाद डिज़ाइन महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बुजुर्गों जैसे कुछ समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

पीएमजेडीवाई की पहल

जन जागरूकता अभियानः भारत सरकार लोगों को पीएमजेडीवाई के लाभों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। अभियान जागरूकता पैदा करने और इसे अपनाने में सफल रहे हैं। डिजिटल इंडिया पहलः डिजिटल इंडिया पहल एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस पहल के माध्यम से, सरकार देश भर में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजेडीवाई खातों की पहुंच में सुधार करने में मदद मिलेगी। महिलाओं का वित्तीय समावेशनः सरकार ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को पहचाना है और महिलाओं को ऋण तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में सक्षम बनाने के लिए महिला ई–हाट और मुद्रा योजना जैसी पहल शुरू की है।

निष्कर्षतः, पीएमजेडीवाई निस्संदेह भारत में वित्तीय समावेशन के लिए गेम–चेंजर रही है। इसने लाखों परिवारों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है और उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में लाया है। फिर भी, देश में सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन हासिल करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके और नवाचार जारी रखते हुए, पीएमजेडीवाई में भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने और आर्थिक वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता है।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम.

1. क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण
2. सूक्ष्म बीमा
3. स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजनाएं।

प्राप्ति

महिलाएं हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं, जो सक्रिय रूप से अपने परिवार की आय, आजीविका और समग्र कल्याण का समर्थन करती हैं। देश की आबादी में लगभग 48.5 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इसलिए ग्रामीण समुदायों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न पहलों के माध्यम से वित्तीय समृद्धि लाने के लिए लगातार काम कर रहा है।[5]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता इसके प्रभावशाली कार्यक्रमों जैसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक लिंकेज कार्यक्रम, बैंक सखियों को सहायता प्रदान करना, विशिष्ट महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ऑफ–फार्म उत्पादक संगठनों की स्थापना से प्रदर्शित होती है। इन पहलों ने न केवल वित्तीय अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि लाखों महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, ग्रामीण रोजगार को सक्षम किया है, उद्यमिता को बढ़ावा दिया है और आदिवासी विकास निधि

(टीडीएफ) के माध्यम से आदिवासी परिवारों का समर्थन किया है।

वित्तीय समावेशन की अपनी खोज में, नाबार्ड ने 2007–08 में भारत सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का सक्रिय रूप से लाभ उठाया है, जो इसके सफल संचालन के 15 वर्ष पूरे कर रहा है। एफआईएफ के तहत, नाबार्ड ने वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी), बैंक सखियों के लिए समर्थन, वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) की स्थापना आदि जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ये प्रयास वित्तीय रूप से बहिष्कृत आबादी को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने में सहायक रहे हैं।[6]

परिवर्तनकारी जन धन योजना, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम ने वित्तीय बहिष्कार को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जिनमें से 55 प्रतिशत महिलाएं हैं। हालाँकि, लगभग 18 प्रतिशत जन धन खाते निष्क्रिय हैं। इसके अलावा, विश्व बैंक की फाइंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार, 23 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 32 प्रतिशत महिलाओं का खाता निष्क्रिय है। इसके जवाब में, नाबार्ड ने एक अंतरराष्ट्रीय गैर–लाभकारी संगठन, महिला विश्व बैंकिंग (डब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ सहयोग किया है। साथ में, उनका लक्ष्य बचत, सूक्ष्म–बीमा, क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा देकर और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाकर जन धन योजना के प्रभाव को बढ़ाना है। यह सहयोगी पहल सूक्ष्म बीमा और ऋण सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए जागरूकता शिविरों के माध्यम से महिलाओं के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह पहल पूरे देश के सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में शुरू की जाएगी।[7]

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड डब्ल्यूडब्ल्यूबी के साथ मिलकर लिंग सूचकांक स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से मापदंडों की पहचान कर रहा है, जो न केवल लिंग असमानताओं को संबोधित करेगा बल्कि सामाजिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। यह सूचकांक लैंगिक समानता को मापने और उसमें सुधार करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। अपने अटूट समर्पण के साथ, नाबार्ड वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं के जीवन का उत्थान करना जारी रखता है। आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देकर और विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाकर, नाबार्ड एक समृद्ध और न्यायसंगत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। नाबार्ड के अध्यक्ष ने कहा कि केवल वित्तीय समावेशन को सक्षम करके ही हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं और लैंगिक अंतर को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं।8

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा कदम है। लोगों ने योजनाओं के लाभों का भी उपयोग किया और उनकी आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पीएमजेडीवाई सेवाओं और उत्पादों का उनके जीवन पर प्रभावी प्रभाव पड़ा है। समग्र दृष्टिकोण से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह योजना बचत के माध्यम से अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है, लोगों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और बैंक पर उनकी विश्वसनीयता बढ़ाती है।

सिफ़ारिशें और सुझाव–

1. बैंकों को क्रेडिट और ऋण सुविधा लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कमी करनी चाहिए और प्रसंस्करण समय भी कम करना चाहिए।
2. ग्रामीणों को अच्छी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जाए ताकि वे मोबाइल बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकें।
3. बैंक खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में एक ही फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग की सुविधा के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. अग्रवाल, डी., सिंघल, टी., और स्वरूप, के.एस. (2015) वित्तीय समावेशन योजनाओं के विस्तार के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनानाः प्रधान मंत्री जन धन योजना के विशेष संदर्भ में। अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन में प्रगति (एईबीएम), 2(12), 1169–1173।

2. अश्विता, और मंजूनाथ, एस. (2020) वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास – मैंगलोर में प्रवासी मजदूरों पर एक अध्ययन। शेषाद्रिपुरम जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज (एसजेएसएस), 2(2), 109–122। जोन्स, टी।
3. दिव्याश्री, एस., और बवानी, जी. (2017) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के निहितार्थ पर एक अध्ययन, आईआरएइंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, 6(3), 461–466।
4. कंडारी पी., बहुगुणा यू., और सालगोत्रा ए.के. (2021) अविकसित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय निर्धारकः भारत में एक केस स्टडी। जर्नल ऑफ एशियन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, 8(3), 1045–1052।
5. परमासिवन, सी., और अरुणकुमार, जी. (2020) भारत में डीबीटी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का एक अवलोकन। एसईएलपी जर्नल ऑफ सोशल साइंस – ए ब्लाइंड रिव्यू एंड रेफरीड क्वार्टरली जर्नल, 11(43), 25–31।
6. शैलजा, एच. एन. (2021) प्रधान मंत्री जन धन योजना और वित्तीय समावेशनः एक अनुभवजन्य विश्लेषण, एसडीएमआईएमडी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 12(1), 41–53।
7. सिंह, ए.पी. (2019) प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ानाः एक समीक्षा, थिंक इंडिया जर्नल, 22(10), 5688–5701।
8. सोमानी, एम.डी., और नाहर, बी. (2015) प्रधानमंत्री जन धन योजनाः वित्तीय समावेशन, जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, 10(2), 34–39।

Cite this Article-

डॉ0 कृष्ण कुमार, "जनधन योजना के सामाजिक– आर्थिक प्रभाव", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:01, January 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2024v2i1001
Published Date- 02 January 2025